

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)

शुक्रवार, 07 अप्रैल, 2006/चैत्र 17, 1928(शक)

संख्या- 148

विषय:- सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित, उपायुक्त, पश्चिमी जिला, दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

“मुझे आपको यह ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों, श्री हरशरण सिंह बल्ली एवं श्री सुभाष सचदेवा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/341 के अंतर्गत दिनांक 31.03.2006 को पुलिस स्टेशन, राजौरी गार्डन, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

उन्हें, उसी दिन उसी स्थान से रिहा कर दिया गया”।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)

Friday 07th April 2006/17Chaitra 1928

No. 148

Sub: DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from DCP, West Distt., Delhi

"I have the honour to inform you that Shri H.S. Balli and Shri Subhash Sachdeva, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi, were detained u/s 341/34IPC at PS Rajouri Garden, Delhi on 31.3.2006.

They were released from the same place on the same date."

Siddharath Rao
Secretary